रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26042024-253875
CG-MH-E-26042024-253875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946
No. 280] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/169.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बेवें दिन से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में,-

   I. विनियम 6 में, खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

   "(ढ) क्या आवेदक विनियम 14 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) के यहाँ सूची में शामिल है:

परंतु यह कि मौजूदा निवेश सलाहकारों को ऐसे निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) के यहाँ सूची में उस तारीख से शामिल माना जाएगा, जिस तारीख से उस निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) को मान्यता प्रदान की जाए:

परंतु यह और कि जिस आवेदक का आवेदन विनियम 14 के तहत निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) को मान्यता प्रदान किए जाने की तारीख से पहले प्राप्त हो जाए, किंतु जिसे ऐसे निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) को मान्यता प्रदान किए जाने की तारीख के बाद प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए, उसके बारे में यही माना जाएगा कि वह उस निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) के यहाँ सूची में शामिल है।"

II. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"निवेश सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि करने के लिए किसी निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता प्रदान किया जाना

14.(1) बोर्ड किसी निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को निवेश सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि करने के लिए मान्यता प्रदान कर सकेगा, उन शर्तों आदि पर और उतना जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) बोर्ड यह उल्लेख कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति निवेश सलाहकार के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के यहाँ सूची में शामिल न हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में इन विनियमों के प्रावधान और ऐसे निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की उप-विधियाँ (बाय-लॉज़) या संबंधित प्रावधान उस निवेश सलाहकार पर लागू होंगे।"

III. विनियम 30 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"व्यावृत्ति

30क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2024 के प्रारंभ होने से पहले, विनियम 14 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की सदस्यता के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली किसी कार्रवाई या की जा सकने वाली किसी कार्रवाई के बारे में यही माना जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है या की जा सकेगी।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./049/2023-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778 द्वारा, 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-

   (1) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

   (2) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

   (3) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

   (4) 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा

(5) 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा

(6) 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11, द्वारा

(7) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/34, द्वारा

(8) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(9) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

(10) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(11) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(12) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

(13) 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th April 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/169.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2024**.**

2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, –

   I. in regulation 6, clause (n) shall be replaced with the following clause, namely,–

   "(n) Whether the applicant is enlisted with a body or body corporate recognised under regulation 14:

   Provided that the existing investment advisers shall be deemed to be enlisted with such a body or body corporate from the date of recognition of such body or body corporate:

   Provided further that the applicant whose application is received before the date of recognition of the body or body corporate as provided under regulation 14 and who is granted the certificate after the date of recognition of such body or body corporate shall also be deemed to be enlisted with such a body or body corporate."

   II. Regulation 14 shall be replaced with the following regulation, namely, –

   "Recognition of body or body corporate for administration and supervision of investment advisers.

   14.(1) The Board may recognize a body or body corporate for the purpose of administration and supervision of investment advisers to such extent and on such terms and conditions as may be specified by the Board.

(2) The Board may specify that no person shall act as an investment adviser unless such a person is enlisted with the recognized body or body corporate and in such an event, the provisions of these regulations and the specified provisions of the bye-laws or articles of such a body or body corporate shall apply to the investment adviser."

III. After regulation 30, the following regulation shall be inserted, as under:

"**Savings**

30A. Prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2024, any action taken or purported to have been taken or any action that may be taken against any person in relation to the membership of the body or body corporate recognised under regulation 14 shall be deemed to have been done or taken or may be taken under the corresponding provisions of these regulations."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./049/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, –

(1) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;

(2) 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023;

(3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;

(4) 3rd July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22;

(5) 11th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04;

(6) 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11;

(7) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/34;

(8) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;

(9) 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;

(10) 07th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121;

(11) 3rd July, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137;

(12) 17th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

(13) 9th October, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/154.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.26 22:21:45 +05'30'